पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 14.10.2020

1-थाना एक्सप्रेस वे पुलिस और बदमाशो के बीच हुई मुठभेड मे 01 वांछित अभियुक्त घायल/ गिरफ्तार, कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक अवैध तंमचा मय जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस बरामद :

दिनांक 13.10.2020 को थाना एक्सप्रेसवे पुलिस और बदमाशो के बीच थाना एक्सप्रेस वे क्षेत्र के पुस्ता सेक्टर 128 के पास हुई मुठभेड मे 01 वांछित अभियुक्त घायल/गिरफ्तार किया गया है । अभियुक्त के कब्जे से एक बिना नम्बर की मोटरसाइकिल(स्पलेंडर) , एक अवैध तंमचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस बरामद किये गये है ,घायल बदमाश का नाम मुस्तकीम उर्फ मुक्की पुत्र जमील निवासी ग्राम असगरपुर थाना एक्सप्रेस वे, गौतमबुद्धनगर है। अभियुक्त का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है। घायल बदमाश थाना एक्सप्रेसवे का वांछित हिस्ट्रीशीटर है, अभियुक्त थाना सेक्टर 39 के मु0अ0स0 436/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, अभियुक्त के विरुद्ध विभिन्न थानो मे करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज है और थाना एक्सप्रेस वे के टॉप टेन बदमाशो मे भी शामिल है।

अभियुक्त का विवरण -

मुस्तकीम उर्फ मुक्की पुत्र जमील निवासी ग्राम असगरपुर थाना एक्सप्रेसवे गौतमबुद्धनगर।

आपराधिक इतिहास का विवरण-

1.मु0अ0सं0 322/17 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना एक्सप्रेसवे गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0 146/18 धारा 392/411 भा0द0वि0, थाना एक्सप्रेसवे गौतमबुद्धनगर।

3.मु0अ0सं0 150/18 धारा 8/20 NDPS ACT थाना एक्सप्रेसवे गौतमबुद्धनगर।

4.मु0अ0सं0 488/18 धारा 411/414 भादवि थाना एक्सप्रेसवे गौतमबुद्धनगर।

5.मु0अ0सं0 295/15 धारा 323/504/506 IPC थाना एक्सप्रेसवे गौतमबुद्धनगर।

6.मु0अ0सं0 392/20 धारा 307IPC थाना एक्सप्रेसवे गौतमबुद्धनगर।

7.मु0अ0सं0 393/20 धारा 25/27 ARMS ACT, थाना एक्सप्रेसवे गौतमबुद्धनगर।

8.मु0अ0सं0 568/15 धारा 411/414IPC, थाना फेस 2 गौतमबुद्धनगर।

9.मु0अ0सं0 521/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस 2 गौतमबुद्धनगर।

10.मु0अ0सं0 495/18 धारा 379/411IPC थाना फेस 2 गौतमबुद्धनगर।

11.मु0अ0सं0 1204/19 धारा 364/307/120 बीIPC, थाना सै0 39 गौतमबुद्धनगर।

12.मु0अ0सं0 1205/19 धारा 392/411IPC, थाना सै0 39 गौतमबुद्धनगर।

13.मु0अ0सं0 226/18 धारा 60/63 आबकारी अधि0, थाना सै0 39 गौतमबुद्धनगर।

14.मु0अ0सं0 436/20 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट थाना सै0 39 गौतमबुद्धनगर।

15.मु0अ0सं0 300/20 धारा 379/411 IPC थाना सुरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा।

बरामदगी का विवरण-

01. एक बिना नम्बर की मोटरसाइकिल(स्पलेंडर)

02. एक अवैध तंमचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस

2- थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा दो वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 मो0सा0 व अवैध शस्त्र बरामद-

दिनांक 13.10.20 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा चोरी करने वाले 02 अभियुक्तो 1. मोनू पुत्र रामकिशन निवासी चम्पत कालोनी गुरूद्वारे के पास कस्बा व थाना सूरजपुर 2. दीपक पुत्र मोहनलाल निवासी ग्राम अनिवास थाना अनुपशहर जनपद बुलन्दशहर वर्तमान पता सुभाष वैशाली का मकान अम्बेडकर भवन के पास कस्बा व थाना सूरजपुर को तिलपता गोल चक्कर से मय चोरी की दो मो0सा0, अवैध शस्त्र व अन्य चोरी किये गये सामान के साथ गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मोनू पुत्र रामकिशन नि0 चम्पत कालोनी गुरूद्वारे के पास कस्बा व थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

2. दीपक पुत्र मोहनलाल नि0 ग्राम अनिवास थाना अनुपशहर जनपद बुलन्दशहर वर्तमान पता सुभाष वैशाली का मकान अम्बेडकर भवन के पास कस्बा व थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्तो के आपराधिक इतिहास का विवरण-

<u>अभियुक्त मोनू पुत्र रामकिशन</u>

1. मु0अ0स0 758/20 धारा 380,457 भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

2 मु0अ0स0 763/20 धारा 25 आयुध अधिनियम एक्ट थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

3. मु0अ0स0 277/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

4. मु0अ0स0 81/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

5. मु0अ0स0 44/15 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

6. मु0अ0स0 406/15 धारा 392/411 भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

7. मु0अ0स0 465/15 धारा 379/411 भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

8. मु0अ0स0722/15 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

9. मु0अ0स0471/15 धारा 392/411 भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

10. मु0अ0स0 551/15 धारा 379/411 भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

11. मु0अ0स0766/20 धारा 414 भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

<u>अभियुक्त दीपक पुत्र मोहनलाल</u>

1. मु0अ0स0 764/20 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना सूरजपुर

2. मु0अ0स0 758/20 धारा 380,457 भादवि थाना सूरजपुर

3. मु0अ0स0766/ 20 धारा 414 भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

4. मु0अ0स0 475/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

1. दो चाकू
2. मो0सा0 यूपी 13 ए ए 3657
3. मो0सा0 डीएल 4 एस बी एस 7176
4. सिलेण्डर जैसा पीस प्रोडक्ट का नाम केंट एक्सल पार्ट कोड 13001 मॉडल हाइड्रोस्टेटिक टैंक
5. कार्बन फिल्टर, डीपी पम्प व मिनरल आदि सामान

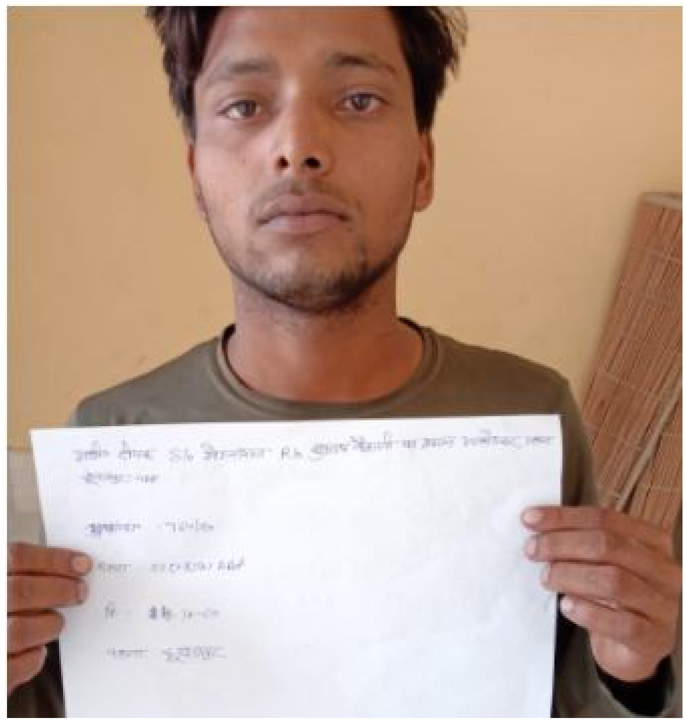

3- थाना सेक्टर 49 पुलिस द्वारा अपहरण करने वाले महिला सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार, अपहरित बच्चा सकुशल बरामद :

दिनांक 11.09.2020 को श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम सर्फाबाद थाना सेक्टर 49 नोएडा ने सूचना दी कि उसका 03 वर्ष 06 माह का पुत्र रोनक जो दिनांक 11.09.2020 को सुबह 09.00 बजे के करीब घर के बाहर खेल रहा था, अचानक गायब हो गया था। जिसकी काफी तलाश की गयी परन्तु नही मिला। वादी की तहरीर पर तत्काल थाना सेक्टर 49 नोएडा पर मु0अ0सं0 753/2020 धारा 363 भादवि0 पंजीकृत किया गया।

घटना की सूचना मिलते ही थाना सेक्टर 49 पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये सूचना प्राप्त हुई कि अपह्तित रोनक के अपहरण में उसके पिता वीरेन्द्र के फूफा यतबीर पुत्र प्रेमपाल निवासी बुटला दौतल थाना उझानी जिला बदांयू वर्तमान पता महेश यादव का मकान ग्राम सर्फाबाद नोएडा व उसका दोस्त हसमत पुत्र बच्चू निवासी दूनपुर थाना फैजगंज बेहटा जिला बदायूं का हाथ है, जिस पर आज दिनांक 14.10.2020 को अभियुक्तो यतबीर पुत्र प्रेमपाल को गांव सर्फाबाद से व हसमत पुत्र बच्चू को हल्दौनी मोड से गिरफ्तार किया गया, पूछताछ में दोनो ने बताया कि अभि0 हसमत के पास कोई पुत्र नही है और वह काफी दिनो से एक बच्चा गोद लेना चाह रहा था और इस सम्बन्ध में उसने अपने साथी यतवीर पुत्र प्रेमपाल से कहा कि वह उसको कही से एक बच्चे को दिलवा दे। इसके लिए वह एक-डेढ लाख रूपये खर्च कर देगा। रूपयो के लालच में आकर अभि0 यतवीर पुत्र प्रेमपाल ने अपने भतीजे वीरेन्द्र के बेटे रोनक के अपहरण की साजिश रची और इसके चलते दिनांक 11.09.2020 को प्रातः वह वीरेन्द्र के घर पहुँच गया और जब वीरेन्द्र व उसकी पत्नी अपने अपने काम पर चले गये तब यतवीर ने अभि0 हसमत को बुलाकर रोनक को उसको सौप दिया और अभि0 हसमत उसको लेकर अपने मकान हल्दौनी मोड पहुँचा, जहाँ उसकी पत्नी शमा मौजूद थी। दोनो पति पत्नी अपह्त रोनक को अपने साथ मोटर साइकिल से लेकर अपने गांव दूनपुर थाना फैजगंज बेहटा बदायूं ले गये और अभि0 यतवीर वादी वीरेन्द्र के साथ अपह्त रोनक को ढूंढने का नाटक करता रहा। अभियुक्तो की निशांदेही पर अपह्ति रोनक को दिनांक 14.10.2020 को हसमत के घर गांव दूनपुर थाना फैजगंज बेहटा बदांयू से सकुशल बरामद किया गया है, तथा घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल मोबाइल फोन आदि को बरामद किया गया है, तथा अपह्ति रोनक के अपहरण में शामिल अभियुक्ता शमा पत्नी हसमत को उसके गांव दूनपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है।

अभियुक्तों का विवरण-

(1) यतबीर पुत्र प्रेमपाल निवासी बुटला दौतल थाना उझानी जिला बदांयू वर्तमान पता महेश यादव का मकान ग्राम सर्फाबाद नोएडा

(2) हसमत पुत्र बच्चू निवासी दूनपुर थाना फैजगंज बेहटा जिला बदायूं।

(3) समा पत्नी हसमत निवासी दूनपुर थाना फैजगंज बेहटा जिला बदायूं।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 753/2020 धारा 363/368/120बी भादवि0 थाना सेक्टर 49 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण -

(1) अपह्त रोनक पुत्र वीरेन्द्र उम्र करीब 03 वर्ष 06 माह।

(2) घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल रजि नं0 यूपी 16 0552।

(3) घटना में प्रयुक्त दो मोबाइल फोन।